कार्यालय–जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

निविदा/टैण्डर सूचना

जनपद न्यायालय मेरठ वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतू स्टेशनरी कय किये जाने हेतू प्रभारी अधिकारी पुस्तकालय की आख्या दिनांक 10.07.2017 पर कय समिति की आख्या दिनांक 17.07.2017 पर माननीय जिला न्यायाधीश मेरठ द्वारा पारित दिनांक 19.07.2017 के अनुपालन में कय समिति की बैठक दिनांक 19.07.2017 का आहूत की गयी। जिसमें मॉग पत्रों में उल्लिखित लेखन सामग्री का विवरण स्पष्ट न होने के कारण स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने हेतू आदेशित किया गया। प्रभारी अधिकारी पुस्तकालय, मेरठ की आख्या दिनांक 20.07.2017 के अनुसार निम्न वर्णित वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आयकर जी0एस0टी0 विभाग से मान्यता प्राप्त पंजीकृत फर्मो/निर्माता/विकेता/डीलर्स से दिनांक–19.08.2017 को अपराहन् 12:00 बजे तक सील्ड व मुहर बन्द निविदांये/टैण्डर निम्न स्टेशनरी हेतू आमंत्रित किये जाते है।

सिविल एवं फौजदारी न्यायालयो के प्रयोग हेतू कय किये जाने वाली स्टेशनरी की सूची :–

1– कम्प्यूटर पेपर (FS साईज सेन्चुरी मेक)	–	200 पैकेट	2– गार्ड फाईल (नीलगगन)	–	200 अद्द
3– फोटोस्टेट पेपर (A4 साईज सेन्चुरी मेक)	–	50 पैकेट	4– पेन स्टैण्ड मय 2 पेन (KEBICA)	–	50 अद्द
5– घंटी (102 SHARP)	–	50 अद्द	6– पीठासीन अधिकारी की डायरी (250 पेंज)	–	120 अद्द
7– प्रस्तुतकार की डायरी (250 पेंज)	–	120 अद्द	8– कार्यालय डायरी (250 पेंज)	–	160 अद्द।

त्वरित न्यायालयो के प्रयोग हेतू कय किये जाने वाली स्टेशनरी की सूची :–

1– जजमेन्ट पेपर (90GSM, LEDGER PAPER 13-400 GM Ballarpur FS)	–	150 पैकेट
2– सफेद कागज (60GSM/Creamvove 10.100gm ABC crist 17x27)	–	25 रिम

भ्रष्टाचार निवारण न्यायालयो के प्रयोग हेतू कय किये जाने वाली स्टेशनरी की सूची :–

1– स्टाम्प पैड (Faber/Castell)	–	200 नग	2– सूत गोला (Jalpari)	–	200 नग
3– गम ट्यूब (150 Ml Camel)	–	200 नग	4– आलपिन (T 50gm)	–	100 डिब्बी
5– टैग की गुच्छी (8" Satyam)	–	300 गुच्छी	6– पैड इंक (Ashoka Med)	–	100 अद्द

उपरोक्त वर्णित स्टेशनरी की विशिष्टियां निविदा हेतु निविदा की शर्ते किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक दिनांक–18.08.2017 तक नजारत अनुभाग मेरठ में देखे जा सकते हैं। निविदा/टैण्डर के साथ जिला न्यायाधीश मेरठ के पक्ष में देय अग्रिम धरोहर धनराशि अंकन 10,000/–(दस हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट जिला न्यायाधीश मेरठ के पक्ष में टैण्डर प्रस्तुत करने के समय दिनांक–19.08.2017 तक जमा की जायेगी। टैण्डर/निविदा के साथ आपूर्ति की जाने वाली स्टेशनरी के सामान का नमूना प्रस्तुत करना होगा।

उक्त निविदायें दिनांक–19.08.2017 को 4:00 बजे अपराहन् कय समिति के समक्ष तेरह न्यायालय भवन के मीटिंग हाल में खोली जायेगी। निविदायें खोले जाने के समय फर्मो के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

उक्त सूचना एवं निविदा की शर्ते माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईट www.allahabadhighcourt.in तथा जनपद न्यायालय, मेरठ की बेवसाईट www.districtcourtmeerut.nic.in पर भी उपलब्ध है।

Vinai Kumar Dwivedi 20/07/17
(विनय कुमार द्विवेदी)
सदस्य, कय समिति/
अपर जिला जज कक्ष सं0–8
मेरठ।

(मानवेन्द्र सिंह)
सदस्य, कय समिति/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट)
मेरठ।

(अरूण कुमार मिश्र)
अध्यक्ष, कय समिति/
अपर जिला जज कक्ष सं0–1,
मेरठ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार प्रसार हेतू।

1– नोटिस बोर्ड जनपद न्यायाधीश, मेरठ।
2– नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, मेरठ।
3– नोटिस बोर्ड आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
4– नोटिस बोर्ड मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
5– समाचार पत्र में निशुल्क प्रकाशन हेतू।
6– कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद व माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईड पर अपलोड हेतू।

निविदा की शर्ते

न्यायिक प्रतिष्ठान मेरठ के लिये सिविल एवं फौजदारी न्यायालयो, त्वरित न्यायालयों एवं भ्रष्टाचार निवारण न्यायालयों में प्रयोग हेतू प्रतिष्ठित/ब्रान्डेड कम्पनी की लेखन सामग्री कय किया जाना है। जिस हेतु अधिकृत/पंजीकृत डीलर/फर्म, निर्माता एवं विकेता द्वारा सीलबन्द निविदा निम्न शर्तो पर आमंत्रित की जानी है:-

1- निविदा में आपूर्ति किये जाने वाले सामान की निर्माता कम्पनी का विवरण, यथा कागज की मोटाई, साईज एवं वजन व अन्य विशिष्टियों का अंकित किया जाना अनिवार्य है तथा आपूर्ति किये जाने वाले स्टेशनरी के नमूने संलग्न करना अनिवार्य है।

2- सीलबन्द निविदा के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर मय दिनांक होना आवश्यक है। सीलबन्द निविदा में किसी प्रकार की कटिंग/ओवरराईटिंग होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

3- सीलबन्द निविदा में दरों का अंकन शब्दो तथा अंको दोनो में किया जाये, साथ ही सभी कर सहित सम्मिलित की जायेगी।

4- निविदा होने वाली फर्म का जी0एस0टी0 में पंजीकृत होना अनिवार्य है और निविदादाता द्वारा जी0एस0टी0 विभाग द्वारा निर्गत अदेयता प्रमाणपत्र देना भी अनिवार्य है।

5- निविदा की आपूर्ति किये जाने वाले सामान/आईटम का मूल्य सभी कर सहित एवं आपूर्ति किये जाने वाले समस्त सामान/आईटम का मूल्य पृथक-पृथक अंकित करना अनिवार्य है, और निविदा के साथ अंकन 10,000/- (दस हजार मात्र) रूपये का ड्राफ्ट अग्रिम धरोहर धनराशि के रूप में माननीय जनपद न्यायाधीश मेरठ के पक्ष में पृथक सीलबन्द लिफाफे में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6- निविदा की सूचना के नियमानुसार जारी होने के बाद निविदा की शर्तें की अन्तिम तिथि से पूर्व प्रत्येक कार्यदिवस में सायं 5:00 बजे तक जनपद न्यायालय मेरठ में नजारत अनुभाग से देखी जा सकती है।

7- सीलबन्द निविदा एवं उसके साथ संलग्न सीलबन्द अग्रिम धनराशि दिनांक 19.08.2017 को दिन 12:00 बजे तक जनपद न्यायालय मेरठ के नजारत अनुभाग में प्राप्त कराया जाना अनिवार्य होगा। दिनांक 19.08.2017 को दिन में 12:00 बजे के पश्चात प्राप्त निविदाये स्वीकार नहीं होगी। पंजीकृत डाक से निविदा प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि निविदा समय सीमा के अन्दर प्राप्त हो जाये।

8- सीलबन्द निविदांये दिनांक 19.08.2017 को सायं 4:00 बजे के बाद तेरह-कक्षीय न्यायालय भवन के मीटिंग कक्ष में खोली जायेगी। निविदा खोले जाने के समय निविदादाता या फर्मो के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

9- निविदाओं को स्वीकृत करने व अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश को होगा। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये माननीय जनपद न्यायाधीश मेरठ द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

10- निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदादाता/फर्म द्वारा अपेक्षित एवं वांछित गुणवत्ता की वस्तु की आपूर्ति निर्धारित अवधि के अन्दर करनी होगी। उपर्युक्त शर्तो का अनुपालन सफल निविदादाता द्वारा न करने की स्थिति में उक्त अग्रिम धरोहर धनराशि नियमानुसार जब्त कर ली जायेगी। वांछित गुणवत्ता की वस्तु के निर्धारित समय के अन्दर आपूर्ति किये जाने के बाद उसी गुणवत्ता एवं अन्य विशिष्टताओं के सम्बन्ध में वांछित रिपोर्ट प्राप्त होने पर उन्हें अवमुक्त किया जायेगा।

11- आपूर्ति किये जाने वाले वस्तुओं की संख्या अनुदान पर आधारित होगी। जो घट-बढ़ सकती है।

12- आपूर्ति की गयी वस्तु में कोई मेन्यूफैक्चरिंग कमी पायी जाती है तो उसे आपूर्तिकर्ता द्वारा पुनः आपूर्ति करनी होगी।

13- निविदाकर्ता में से जो भी निविदाकर्ता उपरोक्त शर्तो में से किसी एक भी शर्त का पूर्ण नहीं करेगा उसकी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

14- निविदा में दिये गये मूल्य के अतिरिक्त कोई अन्य भुगतान जैसे भाड़ा, आपूर्ति किये जाने वाली को निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में देय नहीं होगा, कोई बीयर-टीयर देय नहीं होगा।

15- किसी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद मेरठ होगा।

(विनय कुमार द्विवेदी)	(मानवेन्द्र सिंह)	(अरूण कुमार मिश्रा)
सदस्य, कय समिति/	सदस्य, कय समिति/	अध्यक्ष, कय समिति/
अपर जिला जज कक्ष सं0-8	विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट)	अपर जिला जज कक्ष सं0-1,
मेरठ।	मेरठ।	मेरठ।

Distt. Judge
Meerut